न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2020(रसद) (GCMS 2020/00263)	03.07.2020	20.10.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक, डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. चुन्नीलाल खटीक, संगेसरा, तहसील डूंगला।
2. पंकज जैन, उचित मूल्य दुकानदार, नंगावली, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. परमेश्वरलाल खटीक, उचित मूल्य दुकानदार, सातलियास, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. अर्जुन लाल खटीक पुत्र चुन्नीलाल खटीक, संगेसरा, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
सत्यनारायण शर्मा — विपक्षी संख्या 1
एक तरफा — विपक्षी संख्या 2 से 4

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत जब्तशुदा गेहूँ

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक पिंकी स्वर्णकार, डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत जब्तशुदा गेहूँ के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया दिनांक 19.05.2020 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर आवेदक पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक ग्राम संगेसरा एवं सातलियावास स्थित उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण हेतु पहुँचे। मौके पर कार्मिक के तौर पर अर्जुन लाल खटीक पुत्र चुन्नीलाल खटीक द्वारा उचित मूल्य दुकानों का संचालन पाया गया। वक्त निरीक्षण दोनों उचित मूल्य दुकानों पर क्रमशः 1438 किग्रा एवं 385 किग्रा गेहूँ पोस मं दर्ज स्टॉक से अधिक पाया गया। उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने के पश्चात FCI खरीद केन्द्र मंगलवाड पहुँचे। मौके पर उपस्थित तहसीलदार पन्नालाल से पूछताछ करने पर बताया कि चुन्नीलाल 85 कट्टे गेहूँ जिन पर FCI मार्का व

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

हाथ की सिलाई है व पिकअप से भरकर FCI खरीद केन्द्र मंगलवाड लाये थे। चुन्नीलाल खटीक का भाई परमेश्वर लाल खटीक उचित मूल्य दुकानदार है जो सातलियावास की दुकान का संचालन करता है तथा संगेसरा की दुकान चुन्नीलाल का पुत्र अर्जुन लाल खटीक कार्मिक के तौर पर कार्य करता है। मौके पर FCI मैनेजर से दूरभाष पर सम्पर्क कर पूछताछ की गई कि FCI द्वारा कोटा मण्डल की खरीद का गेंहू वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध कराया गया है या नहीं इस पर FCI मैनेजर ने बताया चित्तौड़गढ़ डिपो से कोटा मण्डल मार्का का गेंहू उचित मूल्य दुकानों को वितरण हेतु उपलब्ध करवाया गया है। मौके पर चुन्नीलाल खटीक से बयान लिये गए जिसमें ये बताया गया कि ये गेंहू मेरे खेत का है तथा FCI खरीद केन्द्र मंगलवाड पर बेचने हेतु लाया था। मौके पर वाहन चालक एवं मजदूरों से भी पूछताछ करने पर बयान में बताया गया कि उक्त गेंहू हमने चुन्नीलाल खटीक के खेत से लिया है तथा FCI केन्द्र मंगलवाड पर खाली करवाया है। गेंहू FCI मार्का का होना एवं उचित मूल्य दुकानदार के कार्मिक द्वारा बेचान हेतु ले जाना एवं मौके पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण 85 कट्टों 5100 किग्रा. गेंहू कब्जे में लेकर नायब तहसीलदार डूंगला की सुपुर्दगी में दिया गया तथा जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार गेंहू की सुरक्षा हेतु उचित मूल्य दुकानदार कैलाशचन्द्र शर्मा मंगलवाड चौराहा पोस कोड 9555 को जरिये फर्द सुपुर्दगी नामा तैयार कर दिया गया। अन्त में प्रार्थना की गई कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में जब्तशुदा सामग्री 51 क्विंटल मय बारदाना निस्तारण करानें का आदेश प्रदान करावें।

इस पर आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 03.11.2020 को विपक्षी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 24.08.2021 को विपक्षी संख्या 2 से 4 तक के बाजवूद सूचना के के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 2 से 4 तक के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 24.08.2021 को विपक्षी संख्या 1 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 05.10.2021 को उभयपक्ष हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 19.05.2020 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को मिली सूचना के आधार पर आवेदक ग्राम संगेसरा एवं सातलियावास स्थित उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण हेतु पंहुँचे। वक्त निरीक्षण दोनों उचित मूल्य दुकानों पर क्रमशः 1438 किग्रा एवं 385 किग्रा गेहूँ पोस में दर्ज स्टॉक से अधिक पाया

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

गया। उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने के पश्चात FCI खरीद केन्द्र मंगलवाड पहुँचे। मौके पर उपस्थित तहसीलदार पन्नालाल से पूछताछ करने पर बताया कि चुन्नीलाल 85 कट्टे गेंहूँ जिन पर FCI मार्का व हाथ की सिलाई है व पिकअप से भरकर FCI खरीद केन्द्र मंगलवाड लाये थे। मौके पर FCI मैनेजर से दूरभाष पर सम्पर्क कर पूछताछ की गई कि FCI द्वारा कोटा मण्डल की खरीद का गेंहू वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध कराया गया है या नहीं इस पर FCI मैनेजर ने बताया चित्तौड़गढ़ डिपो से कोटा मण्डल मार्का का गेंहू उचित मूल्य दुकानों को वितरण हेतु उपलब्ध करवाया गया है। मौके पर चुन्नीलाल खटीक से बयान लिये गए जिसमें ये बताया गया कि ये गेंहू मेरे खेत का है तथा FCI खरीद केन्द्र मंगलवाड पर बेचने हेतु लाया था। मौके पर वाहन चालक एवं मजदूरों से भी पूछताछ करने पर बयान में बताया गया कि उक्त गेंहू हमने चुन्नीलाल खटीक के खेत से लिया है तथा FCI केन्द्र मंगलवाड पर खाली करवाया है। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध की जाकर प्रार्थी के स्वामित्व व खातेदारी की निजी उपज के गेंहू को अवैध रूप से जब्त किया है जो गेंहू जब्त किये गये है वह प्रार्थी के खून पसीने की कमाई के होकर प्रार्थी नियमानुसार समर्थन मूल्य पर क्रय केन्द्र मंगलवाड पर विधिक प्रक्रिया अनुसार विक्रय हेतु लेकर आया था केवल मात्र जिस बारदान में प्रार्थी गेंहू लेकर गया था वह एफसीआई के होने से प्रार्थी के गेंहू जब्त किये गये थे प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बिना किसी अनुसंधान जॉच के राजनैतिक दबाव में प्रार्थी को आर्थिक नुकसान पहुँचाकर जलील व परेशान व बेइज्जत करने की बदनियति से कार्यवाही की गई जबकि प्रार्थी ने मौके पर ही जब्तशुदा गेंहू प्रार्थी के खेत की उपज होने के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जिनको अनदेखा कर दबाव में कार्यवाही की गई है जो कि अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं अतः प्रार्थी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 85 कट्टे कुलिया वनज 51 क्विंटल प्रार्थी विपक्षी को सिपुर्द किया जावें एवं प्रार्थी विपक्षी को विशेष हर्जा प्रवर्तन निरीक्षक से दिलाया जावें। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में पैरोकार सरकार ने बताया कि गेंहू FCI मार्का का होना एवं उचित मूल्य दुकानदार के कार्मिक द्वारा बेचान हेतु ले जाना एवं मौके पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण 85 कट्टों 5100 किग्रा. गेंहू कब्जे में लेकर नायब तहसीलदार डूंगला की सुपुर्दगी में दिया गया तथा जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार गेंहू की सुरक्षा हेतु उचित मूल्य दुकानदार कैलाशचन्द्र शर्मा मंगलवाड चौराहा पोस कोड 9555 को जरिये फर्द सुपुर्दगी नामा तैयार कर दिया गया। अन्त में प्रार्थना की गई कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

आदेश 1976 में जब्तशुदा सामग्री 51 क्विंटल मय बारदाना निस्तारण करानें का आदेश प्रदान करावें। धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गेंहू मय बारदान राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हमने फर्द मौका का अवलोकन किया। मौके के गवाहान के बयानों का अवलोकन किया। विपक्षी से जब्तशुदा गेंहू FCI मार्का का होना एवं उचित मूल्य दुकानदार के कार्मिक द्वारा बेचान हेतु ले जाना एवं मौके पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण 85 कट्टों 5100 किग्रा. गेंहू कब्जे में लिया गया। FCI मार्का के गेहूं से भरे हुए पाए गए जो इस तथ्य को बल देते हैं कि विपक्षी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री का अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा कालाबाजारी करने के लिए अवैध रूप से विक्रय करना प्रमाणित पाया जाता है। इस हेतु विपक्षी पूर्णतः जिम्मेदार हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा गेहूं 51.00 क्विंटल मय बारदाना को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 19.05.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी चुन्नीलाल खटीक निवासी संगेसरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ से जब्त शुदा 85 कट्टों 5100 किग्रा. गेंहू मय बारदाना को (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गेंहू मय बारदाना के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 20.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़